[2009] 1 एस.सी.आर. 301

आर. बी. रामलिंगम

बनाम

आर. बी. भुवनेश्वरी

(2009 की एस.एल.पी (सी) 5052-53)

13 जनवरी, 2009

[एस. एच. कपाडिया और एच. एल. दत्तू, न्यायमूर्तिगण]

भारत का संविधान, 1950 :

अनुच्छेद 136 – अपील हेतु विशेष अनुमति याचिका – प्रस्तुत करने में विलम्ब – विलम्ब का कारण उच्च न्यायालय के समक्ष पुनर्विलोकन याचिका की लंबितता बताया गया – अभिनिर्धारित : अनुच्छेद 136 के अधीन यह निर्णय करने के लिए कि विलम्ब को क्षमा किया जाना चाहिए अथवा नहीं, विवेकाधिकार का प्रयोग करते समय न्यायालय उन विचारों से आबद्ध नहीं है जो किसी अपीलीय न्यायालय पर लागू होते हैं, किन्तु फिर भी वे सामान्य सिद्धांत, जो पर्याप्त कारण के निर्धारण में अपीलीय न्यायालय को प्रभावित करते हैं, मार्गदर्शक कारक हो सकते हैं – अतः इसे ऐसा सर्वमान्य विधिक प्रतिपादन नहीं कहा जा सकता कि पुनर्विलोकन कार्यवाही का संचालन, परिसीमा अधिनियम की धारा 5 के प्रयोजनों के लिए प्रत्येक स्थिति में पर्याप्त कारण नहीं होगा – परिसीमा अधिनियम, 1963 – धारा 5।

कुन्हायम्मद एवं अन्य बनाम केरल राज्य एवं अन्य, **2000 अनुपूरक (1) एस.सी.आर. 538 = (2000) 6 एस.सी.सी. 359, पर अवलम्बन किया गया।**

न्यायनिर्णय संदर्भ :

2000 अनुपूरक (1) एस.सी.आर. 538 अवलम्बित अनुच्छेद 3

दीवानी अपीलीय क्षेत्राधिकार : 2009 की विशेष अनुमति याचिका (दीवानी) संख्या 5052-53।

मद्रास उच्च न्यायालय द्वारा सी.आर.पी. (एन.पी.डी.) संख्या 896 वर्ष 2006 तथा सी.आर.पी. (एन.पी.डी.) संख्या 896 वर्ष 2006 में पुनर्विलोकन आवेदन संख्या 85 वर्ष

2007 में पारित क्रमशः दिनांक 18.09.2006 तथा 27.03.2008 के निर्णय एवं आदेश के विरुद्ध।

अपीलकर्ता की ओर से: एस. गुरुकृष्ण कुमार तथा एस.आर. सेतिया

उतरदाता की ओर से: श्याम दीवान (वरिष्ठ अधिवक्ता)

न्यायालय द्वारा निम्नलिखित आदेश पारित किया गया :

आदेश

1. वर्तमान विशेष अनुमति याचिका याचिकाकर्ता (मूल वादी) द्वारा मद्रास उच्च न्यायालय द्वारा सी.आर.पी. (एन.पी.डी.) संख्या 896/06 में पारित दिनांक 18.09.2006 के निर्णय एवं अंतिम आदेश के विरुद्ध दायर की गई है। सी.आर.पी. संख्या 896/06 में दिनांक 18.09.2006 के आक्षेपित आदेश के पश्चात्, वर्तमान याचिकाकर्ता ने पुनर्विलोकन आवेदन संख्या 85/07 दायर किया। यह आवेदन परिसीमा अधिनियम, 1963 के अधीन पुनर्विलोकन याचिका दायर करने के लिए निर्धारित अवधि के भीतर दायर किया गया था। तथापि, दिनांक 27.03.2008 के आदेश द्वारा उक्त पुनर्विलोकन आवेदन संख्या 85/07 निरस्त कर दिया गया। यह विशेष अनुमति याचिका मुख्य निर्णय एवं अंतिम आदेश दिनांक 18.09.2006, जो सी.आर.पी. संख्या 896/06 में पारित किया गया था, के विरुद्ध दिनांक 07.07.2008 को दायर की गई। इस प्रक्रिया में, दिनांक 18.09.2006 के मुख्य निर्णय एवं अंतिम आदेश के विरुद्ध विशेष अनुमति याचिका दायर करने में 568 दिनों का विलम्ब हो गया। अतः इस विशेष अनुमति याचिका के दायर किए जाने में हुआ विलम्ब मद्रास उच्च न्यायालय के समक्ष पुनर्विलोकन आवेदन संख्या 85/07 के लंबित रहने के कारण हुआ। फलस्वरूप, अंतरिम आवेदन संख्या 1 वर्ष 2008 के माध्यम से वर्तमान याचिकाकर्ता दिनांक 18.09.2006 के मुख्य निर्णय एवं अंतिम आदेश के विरुद्ध इस विशेष अनुमति याचिका के दायर करने में हुए 568 दिनों के विलम्ब को क्षमा किए जाने की प्रार्थना करता है।

2. जब यह विशेष अनुमति याचिका दिनांक 25.11.2008 को पूर्ववर्ती खंडपीठ के समक्ष सुनवाई हेतु प्रस्तुत हुई, तब न्यायालय द्वारा यह प्रश्न उठाया गया कि क्या पुनर्विलोकन कार्यवाही का संचालन परिसीमा अधिनियम, 1963 की धारा 5 के प्रयोजनों के लिए पर्याप्त कारण माना जा सकता है। यह प्रश्न न्यायालय द्वारा इसलिए उठाया गया क्योंकि अनेक मामलों में यह न्यायालय पाता है कि विशेष अनुमति याचिकाओं के दायर करने में अत्यधिक विलम्ब हुआ है और उसका आधार यह बताया जाता है कि याचिकाकर्ता

पुनर्विलोकन कार्यवाही का संचालन कर रहा था, जिसके कारण विशेष अनुमति याचिका दायर करने में विलम्ब हुआ। एक अन्य कारण भी था जिसके चलते इस न्यायालय ने उपर्युक्त प्रश्न उठाया। विभिन्न न्यायालयों के बीच इस विषय पर मतभेद पाया जाता है कि क्या पुनर्विलोकन कार्यवाही का संचालन परिसीमा अधिनियम, 1963 की धारा 5 के प्रयोजनों के लिए किसी भी स्थिति में पर्याप्त कारण माना जा सकता है। इस उद्देश्य से हमने श्री श्याम दीवान, विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता, से अनुरोध किया कि वे उपर्युक्त उठाए गए प्रश्न के उत्तर में हमारी सहायता करें।

3. इस प्रश्न के संबंध में कि क्या पुनर्विलोकन आवेदन का संचालन परिसीमा अधिनियम, 1963 की धारा 5 के प्रयोजनों हेतु समय पर विशेष अनुमति याचिका दायर न कर पाने के लिए पर्याप्त कारण होगा, हमारा मत है कि इस न्यायालय के अपीलीय अधिकार-क्षेत्र तथा संविधान के अनुच्छेद 136 के अधीन इसके विवेकाधीन अधिकार-क्षेत्र के मध्य एक स्पष्ट भेद विद्यमान है। (देखें : *कुन्हायम्मद एवं अन्य बनाम केरल राज्य एवं अन्य*, (2000) 6 एस.सी.सी. 359)। उक्त निर्णय के अवलोकन से यह भी स्पष्ट हो जाता है कि पुनर्विलोकन याचिका का दायर किया जाना विशेष अनुमति याचिका के दायर किए जाने में कोई बाधा नहीं है। विद्वान अधिवक्ता द्वारा हमारे समक्ष अनेक निर्णयों का उल्लेख किया गया। इस स्तर पर हमारे लिए उद्धृत प्रत्येक निर्णय पर पृथक-पृथक विचार-विमर्श करना आवश्यक नहीं है, क्योंकि परिसीमा अधिनियम, 1963 की धारा 5 किसी मानक अथवा वस्तुनिष्ठ कसौटी का प्रतिपादन नहीं करती है। "पर्याप्त कारण" की कसौटी पूर्णतः वैयक्तिक कसौटी है। यह कोई वस्तुनिष्ठ कसौटी नहीं है। अतः दो मामलों को समान रूप से नहीं देखा जा सकता। परिसीमा संबंधी विधि ने "पर्याप्त कारण" की अवधारणा को जानबूझकर अपरिभाषित छोड़ दिया है, जिससे न्यायालय को यह निर्णय करने के लिए सुविचारित विवेकाधिकार प्राप्त हो सके कि किसी विशिष्ट मामले में पर्याप्त कारण स्थापित करने वाली परिस्थितियाँ विद्यमान हैं या नहीं। पर्याप्त कारण की कोई निश्चित श्रेणियाँ नहीं हैं। पर्याप्त कारण की श्रेणियाँ कभी समाप्त नहीं होतीं। प्रत्येक मामला अपने आप में एक विशिष्ट अनुभव प्रस्तुत करता है, जिसका न्यायालय को उसी रूप में परीक्षण करना होता है।

4. उपर्युक्त कारणों के आधार पर, हम यह धारित करते हैं कि प्रत्येक मामले में न्यायालय को यह परीक्षण करना होगा कि विशेष अनुमति याचिका दायर करने में हुए विलम्ब का समुचित स्पष्टीकरण प्रस्तुत किया गया है अथवा नहीं। यही मूल कसौटी है जिसे लागू किया जाना आवश्यक है। वास्तविक मार्गदर्शक सिद्धांत यह है कि क्या याचिकाकर्ता ने

अपनी अपील/याचिका के संचालन में युक्तिसंगत तत्परता और परिश्रम का परिचय दिया है। अनुच्छेद 136 के अधीन यह निर्णय करने के लिए कि विलम्ब को क्षमा किया जाना चाहिए अथवा नहीं, विवेकाधिकार का प्रयोग करते समय यह न्यायालय उन विचारों से आबद्ध नहीं है जो किसी अपीलीय न्यायालय पर लागू होते हैं, किन्तु फिर भी वे सामान्य सिद्धांत, जो पर्याप्त कारण के निर्धारण में अपीलीय न्यायालय को प्रभावित करते हैं, मार्गदर्शक कारक अथवा मार्गनिर्देशक सिद्धांत हो सकते हैं। अतः इसे ऐसा सर्वमान्य विधिक प्रतिपादन नहीं कहा जा सकता कि पुनर्विलोकन कार्यवाही का संचालन परिसीमा अधिनियम, 1963 की धारा 5 के प्रयोजनों के लिए किसी भी स्थिति में पर्याप्त कारण नहीं होगा।

5. वर्तमान मामले में, जैसा कि ऊपर कहा गया है, चुनौती मुख्य निर्णय एवं आदेश दिनांक 18.09.2006 को दी गई है। जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है, अंतरिम आवेदन संख्या 1 वर्ष 2008 विशेष अनुमति याचिका दायर करने में हुए विलम्ब की क्षमा हेतु प्रस्तुत किया गया है। यह उल्लेख करना महत्वपूर्ण है कि पुनर्विलोकन आवेदन अप्रैल, 2007 में निर्धारित समय-सीमा के भीतर दायर किया गया था, अतः उसे विधिवत क्रमांकित किया गया था। उच्च न्यायालय ने वर्तमान उतरदाता (प्रतिवादी) को नोटिस जारी करने के पश्चात् संपूर्ण मामले का पुनः परीक्षण किया।

6. उपर्युक्त कथनों को दृष्टिगत रखते हुए, हम अब कार्यालय को निर्देश देते हैं कि वह वर्तमान मामले को अंतरिम आवेदन संख्या 1 वर्ष 2008 के साथ ग्राह्यता हेतू दिनांक 16.02.2009 को सूचीबद्ध करे।

7. हम विद्वान *न्याय मित्र* श्री श्याम दीवान द्वारा प्रदान की गई सहायता के प्रति अपनी सराहना अभिलिखित करते हैं।

अपील स्थगित की गई।

खंडन (डिस्क्लेमर)- स्थानीय भाषा में निर्णय के अनुवाद का आशय, पक्षकारों को इसे अपनी भाषा में समझने के उपयोग तक ही सीमित है और अन्य प्रयोजनार्थ इसका उपयोग नहीं किया जा सकता। समस्त व्यवहारिक, कार्यालयी, न्यायिक एवं सरकारी प्रयोजनार्थ, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रमाणिक होगा साथ ही निष्पादन तथा कार्यान्वयन के प्रयोजनार्थ अनुमान्य होगा।